<u>दिनांक 27 मई, 2026 को सचिव, सहकारिता विभाग सह अध्यक्ष वेजफेड बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-</u>

बैठक में Vegfed एवं PVCS के सुदृढ़ीकरण, सब्जी विपणन नीति निर्माण, संग्रह केंद्र की स्थापना एवं किसानों को सहकारी ढाँचे एवं रोड साईड सब्जी बिक्रेताओं को जोड़ने से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के क्रम में निम्नलिखित निर्देश एवं निर्णय लिए गए:

क्रमांक 1 – संग्रह केंद्र एवं मंडी प्लेटफॉर्म की स्थापना:

पंचायत स्तर पर संग्रह केंद्र एवं मंडी प्लेटफॉर्म की स्थापना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया | जहाँ-जहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर उपयुक्त गोदाम अथवा स्थान उपलब्ध हो, वहाँ किराये पर लेकर क्रय विक्रय प्रारंभ किया जाये | प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर पूर्व से उपलब्ध अवसंरचना जैसे "अपना मंडी" आदि की जानकारी संबंधित विभाग (कृषि विभाग) से प्राप्त कर ली जाए।

क्रमांक 2 – सब्जी उत्पादक एवं उत्पादन की जानकारी:

PMC को निदेश दिया गया कि संघ के साथ समन्वय कर यह सूचना संग्रहित की जाये कि विभिन्न संघों के अंतर्गत PVCS में सब्जी उत्पादको के द्वारा किस-किस प्रकार की सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है | पंचायत स्तर पर संग्रह केंद्र की विस्तृत रूप रेखा निर्धारित की जाये जिसमे यह शामिल हो कि इन केन्द्रों का परिचालन कैसे होगा, Logistics का क्या प्रावधान होगा एवं मार्केटिंग का क्या प्रावधान होगा | इस हेतु Comfed के मॉडल के संग्रहण केन्द्रों का अध्ययन कर संचिका उपस्थापित की जाये |

क्रमांक 3 – वेजफेड के लिए विपणन नीति तैयार की जाये | इस हेतु उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र की विपणन नीतियों का अध्ययन करते हुए वेजफेड बिहार के लिए एक समग्र विपणन नीति तैयार की जाए।

क्रमांक 4 – किसानों का क्लस्टर **निर्माण की जानकारी, PVCS से जोड़ना एवं सब्जी आपूर्ति सुनिश्चित करना:**

संबंधित विभाग से क्लस्टर में खेती कर रहे किसानों का डेटा प्राप्त किया जाए। क्लस्टर आधारित खेती करने वाले किसानों के नाम एवं उनके कृषि क्षेत्रफल की विवरण सूची तैयार की जाए। यह सूची PVCS को प्रेषित की जाए तथा PVCS के माध्यम से किसानों को अपना सदस्य क्लस्टर के आधार पर बनाया जाए |

क्रमांक 5 – सब्जी ट्रेडर्स की सूची एवं PVCS स्तर पर मांग आधारित सब्जी आपूर्ति:

निदेश दिया गया की सर्वे कराकर सब्जी ट्रेडर्स की सूची तैयार की जाये एवं उनसे सब्जी की मांग को प्राप्त करते हुए PVCS को मांग प्रेषित किया जाये एवं संबंधित संघ को इस कार्य हेतु Single Point Of

Contact बनाया जाये | इनकी साप्ताहिक समीक्षा इस बिंदु पर की जाये कि कितने PVCS ने डिमांड की आपूर्ति की है |

क्रमांक 6 – क्रेता विक्रेता सम्मलेन में MOU के अनुसार कम्पनियों को सब्जी आपूर्ति करने हेतु SOP का प्रेषण एवं टारगेट का निर्धारण :

निदेश दिया गया की क्रेता विक्रेता सम्मलेन में संघो द्वारा किये गये MOU के अनुसार संघ ससमय संबंधित कंपनी को सब्जी आपूर्ति प्रारंभ करना सुनिश्चित करे | इस हेतु सभी संघो को वेजफेड स्तर पे PMU द्वारा एक SOP का निर्माण किया जाये जिसमे सभी terms & Condition निहित किये जाये | इस नीति में दर-निर्धारण की व्यवस्था को स्पष्ट किया जाये की वह लाभ प्रतिशत आधारित होगी या दर आधारित होगी | साथ ही, कंपनियों को सब्जी आपूर्ति हेतु संघ अंतर्गत जिला-वार आपूर्ति लक्ष्य निर्धारित कर संघो एवं PVCS से सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाये |

क्रमांक 7 – PVCS व संघ की सक्रियता, लेनदेन एवं Vegfed स्तर पर निगरानी:

PVCS व संघ से आपूर्ति प्राप्त कर उसके लिए बाजार को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए जिससे PVCS का सक्रियण, लेनदेन एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित हो। Union/PVCS से यह जानकारी भी मंगाया जाए कि PVCS कहाँ, किसे और कितनी आपूर्ति कर रहे हैं – संघों ने किस PVCS से कितना क्रय किया गया, कब किया गया और भुगतान संबंधित PVCS को कब किया गया । इस समस्त विवरण को नियमित रूप से Vegfed स्तर पर मॉनिटर किया जाए।

क्रमांक 8 – विशेष सब्जियों पर कार्यशाला एवं "Package of Practice" पुस्तिका तैयार किया जाना :

स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च, टमाटर एवं आलू के संबंध में PVCS के अध्यक्षों व् किसानो के क्षमता-निर्माण हेतु कार्यशालाएं (Workshops) आयोजित की जाएं। साथ ही, सब्जियों की उत्तम कृषि पद्धतियों (Package of Practice) एवं प्रसंस्कृत सब्जियों (Processed Vegetables) से संबंधित एक पुस्तिका (Booklet) तैयार की जाए और उसे किसानों के बीच वितरित किया जाए।

क्रमांक 9 – कार्यशील पूँजी का आकलन एवं प्रसंस्करण इकाइयों की कार्ययोजना:

PVCS/Union को कार्यशील पूँजी (Working Capital) की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अनुमानित एकमुश्त (Lumpsum) लागत का आकलन तैयार किया जाए। Dehydration unit एवं Frozen Vegetables से संबंधित प्रसंस्करण इकाइयों के संभावित क्रेताओं की सूची तैयार की जाए। सचिव, सहकारिता विभाग के साथ एक VC (Video Conference) बैठक आयोजित की जाए, तत्पश्चात् उन्हें "उद्योग वार्ता" में मुख्य सचिव की बैठक में सम्मिलित किया जाए। इसके अतिरिक्त, सरलता से स्थापित होने वाली प्रसंस्करण इकाइयों को पायलट/मॉडल आधार पर PPP Model के अंतर्गत संघ स्तर पर भी स्थापित किया जा सकता है।

क्रमांक 10 – Vegfed की बाजार में दृश्यता (Visibility) एवं टेंडर में सहभागिता:

Vegfed की बाजार में दृश्यता (Visibility) परिलक्षित करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना तैयार की जाए। साथ ही, PVCS एवं Union द्वारा टेंडर प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से सहभागिता की जाए तथा बड़े एवं छोटे – दोनों स्तरों पर सब्जी आपूर्ति आरंभ की जाए।

क्रमांक 11 – बाजार समिति, निजी मंडी एवं सड़क किनारे विक्रेताओं से सहयोग:

Union एवं PVCS से बाजार समितियों एवं निजी मंडियों की सूची मंगाई जाए। जहाँ-जहाँ आधारभूत कार्य (Infrastructure Work) पूर्ण हो चुका हो, उन मंडियों को अपना सदस्य बनाकर उनके अवसंरचना में मंडी का संचालन कराया जाए जिससे राजस्व उत्पन्न हो और समिति सक्रिय रहे। निजी मंडी को Mandate के दायरे में किस प्रकार लाया जाए, इस पर एक कार्यनीति तैयार की जाए। सड़क किनारे सब्जी विक्रेताओं (Road Side Vendors) के साथ टाई-अप की संभावना एवं व्यवस्था एवं उन्हें सदस्य बनाने हेतु कार्य योजना तैयार की जाए।

क्रमांक 12 – दुकानदारों के साथ व्यापार अनुबंध, ब्रांडिंग एवं "सुधा मॉडल" पर रिटेल आउटलेट:

दुकानदारों (Shopkeepers) के साथ व्यापार अनुबंध एवं ब्रांडिंग के संदर्भ में कार्य प्रारंभ किया जाए। "सुधा" के मॉडल की तर्ज पर रिटेल आउटलेट (Retail Outlet) स्थापित किए जाएं। इसके अतिरिक्त यह भी अपनाया जा सकता है कि जो व्यक्ति भूमि उपलब्ध कराएगा, उसे दुकान निर्मित करके दी जाएगी और उसका किराया PVCS को प्राप्त होगा।

साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों को उपरोक्त बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक कार्यबिंदु पर अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

ह०/-
(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव, सहकारिता विभाग
-सह-
अध्यक्ष, वेजफेड।

ज्ञापांक 638/ दिनांक 30.05.2026

प्रतिलिपि:-1.अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हरित सब्जी संघ,पटना / तिरहुत सब्जी संघ,मोतिहारी /मिथिला सब्जी संघ,दरभंगा /मगध सब्जी संघ, गया/ भागलपुर सब्जी संघ, भागलपुर / मुंगेर सब्जी संघ, मुंगेर /सारण सब्जी संघ, सारण / शाहाबाद सब्जी संघ, शाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, वेजफेड अंतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित |

3.वेजफेड अंतर्गत सभी सम्बंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित |

4.राज्य प्रबंधक (IT&MIS) को सूचनार्थ एवं निदेश है कि कार्यवाही को वेजफेड की वेबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें |

5.श्री संजीव कुमार सुमन, PMC टीम लीड, वेजफेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित |

6. सभी PVCS अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित |

प्रबंध निदेशक

वेजफेड,पटना |